MR. CHAIRMAN: I will tell you. We have decided to make some arrangement here, just like the decision taken in the Lpk Sabha also. You speak in broken English. It does not matter. I request you to do it; we can make arrangements next time.

SHRI E. R. KRISHNAN: (Spoke in Tamil).

MR. CHAIRMAN: Who will translate it?

SHRI E- R- KRISHNAN: Sir, the Lok Sabha has accepted it yesterday and in the House they announced.

MR. CHAIRMAN: Mr. Krishnan, I came to know from the Leader of the House. We are also going to do the same thing as is being done in the Lok Sabha. Kindly put the question in English in your own way. We will carry on.

SHRI E. R. KRISHNAN: (Spoke in Tamil).

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Yes, I could follow that, but he cannot.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, I can reply to this. (Spoke in Punjabi).

AN HON. MEMBER: Now, I hope that you have followed it.

MR. CHAIRMAN: Mr. Krishnan, you put it in English.

SHRI E. R. KRISHNAN: Sir, the order was placed for the aircraft on the Hindustan Aircraft Limited. What is the reason for not taking delivery?

MR. CHAIRMAN: Why delivery was not taken?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, earlier an order for 100 fixed-wing aircraft was placed. Then delivery was taken of 26 aircraft so far. And now there is a lesser demand for fixed-wing aircraft from the State Governments. They want more helicopters than fixed-wing aircraft. That is why we had intimated the Hindustan Aircrafts Limited that we would not be able to purchase more aircraft, and we can purchase up to 34 and not more than that number.

SHRI E. R. KRISHNAN: What is the actual extent of loss?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: In fact, there is no loss in this. B*' HAL have informed us that the have spent some money on cert<^>' things, and that we should pay them that. So, we are taking up this matter with them and this will be mutually settled.

SHRI SYED NIZAM-UD-DIN: I would like to know from the hon. Minister whether, when this order was placed, the Government had ascertained what the demand was from the States for these aircrafts. Or was it done in a haphazard way so that delivery is not taking place now? Who is responsible for this loss?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: As I said earlier, there has been no loss as such because it is not that^ne hundred planes have been manufactured already and we are not taking delivery. That is not the thin They have yet to produce those ma"n>^ planes. Now the demand has come down. That is the reason why we are not taking any more planes.

MR. CHAIRMAN: Next Question.

*408. [The questioners (Shri Rama-nand Yadav, Shri Shyam Lai Yadav ancl Shri Mahendra Mohan Mishra) mere absent. or answer, vide cols. 51-52 infra.]

*409. [The questioner (Shri Krish-narao Narayan Dhulap) ioas absent. or answer, vide Cols. 52-53 infra.]

*410. [The questioners (Shri Veni-gaia Satyanarayana, Shri Parbhu Singh and Shri Mulka Govinda Reddy) were absent. For answer, vide cols. 53-54 infra.]

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को हटाया जाना

*411. श्री कलराज मिश्र :
श्री हरीशंकर भाभड़ा : †
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को हटाये जाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

[Eviction of unauthorised occupants from Government land ,in Delhi

*411. SHRI KALRAJ MISHRA: SHRI HARI SHANKER BHABHRA:f SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state whether it is a fact that Government have taken a decision to evict unauthorised occupants of Government land in Delhi?]

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : सरकार की यह घोषित नीति है कि सरकारी भूमि पर से सभी अनधिकृत दखलकारों को हटाया जाये सिवाये उन मामलों के, जिनमें सरकार के आदेशों के अनुसार नियमितीकरण को अनुमेय समझा गया है ।

The MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KIN-KAR): It is the declared policy of Government to remove all unauthorised occupants of Government land except in cases where regularisation is considered permissible under the orders of Government.]

श्री हरि शंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, किसी भी सरकार की यह घोषित नीति होगी ही कि अनधिकृत कब्जे को हटाया जाये । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस घोषित नीति में भी उन्होंने कुछ अलग-अलग स्टेप्स बना रखे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन लोगों को अनधिकृत जगहों से हटाया जाता है और किन लोगों के निर्माण को अधिकृत बनाया जाता है ? क्या आपने अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए लोगों को कोई समय देना भी निश्चित कर रखा है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या आपने कोई स्पष्ट नीति बना रखी है ।

श्री सिकन्दर बख्त : श्रीमन्, असल में इस सवाल का विस्तार बेहद है । अगर ऑनरेबल मेम्बर किसी खास कैटेगरी का जिक्र करते तो इसका जवाब देना आसान हो सकता था । इस तरह के लोगों की कई कैटेगरीज हैं । कुछ अनधिकृत कालोनियां ऐसी जमीन पर हो सकती हैं जो गवर्नमेंट की है और कुछ इस तरह की हो सकती हैं जो गवर्नमेंट की जमीन पर नहीं हैं । इस तरह से अलग-अलग तरह की कालोनियां हो सकती हैं। दूसरी कुछ ऐसी बस्तियां हैं, जैसे नबीकरीम और फैज रोड पर हैं, वहां पर रिफ्यूजीज आ कर बस गये हैं और उन लोगों को गाडगिल एश्यो-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Hari Shankar Bhabhra.

†[ ] English translation.

रेंस के अन्दर ट्रीट करना होता है। तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की हो सकती है जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती हैं। इसके अलावा एक इस तरह की कैटेगरी भी हो सकती है जिसमें पेवमेंट पर किसी हाकर ने कोई अनधिकृत निर्माण कर दिया हो। इस तरह से ये कई प्रकार की कैटेगरीज हैं हर एक के बारे में नीति भी अलग-अलग है।

श्री हरि शंकर भाभड़ा : आपने विभिन्न कैटेगरीज के बारे में क्या तय कर रखा है, यही मैं जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि आपने कौन-कौन सी कैटेगरीज बना रखी हैं ? कृपया आप इनके सम्बन्ध में डिटेल में जवाब दे दें।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने अर्ज किया कि कुछ जमीनें तो ऐसी हैं जैसे कि बस्तियों में हैं और जहां 1947 में बहुत सारे हमारे भाई जो पाकिस्तान से आये थे उन लोगों ने गवर्नमेंट की जमीनों पर कब्जा किया। इसकी मिसाल मैंने दी कि नबी करीम के लोग हैं, फैज रोड के लोग हैं, हाता खिदार के लोग हैं। ये गाडगील एसोरेंस के मातहत आते हैं। उनको हटाने या न हटाने का सवाल बिल्कुल दूसरा है।

दूसरी बात यह है कि अन-अथाराइज्ड कालोनीज को रेगुलराइज करने के लिए हमने कह दिया कि सब रेगुलराइज होंगी। जो गवर्नमेंट लैण्ड पर हैं वह भी होंगी और जो गवर्नमेंट लैण्ड पर नहीं वह भी होंगी। लेकिन जो सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करने की बात होगी और सड़कें, स्कूल, डिस्पेंसरीज के लिए इनेविटेबली जगह ली कराने की बात होगी तो उनको टरनेट जगह वहीं पर दी जाये इस ी कोशिश करेंगे। यदि बिल्कुल री होगी तो फिर दूसरी जगह जा जाएगा। इंडीविजुअल के लिए मैंने बताया कि यह डी० डी० ए० के मातहत है। यदि इनक्रोचमेंट किया है और अगर इनक्रोचमेंट फौरी तौर पर नोटिस कर लिया गया है तो नोटिस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, वे फौरन हटाये जा सकते हैं। इसके लिए पालिसी निर्धारित है कि किस तरह से नोटिस दिया जाये। अगर 5—10 का होता है तो कारपोरेशन से इसका ताल्लुक होता है। वह पहले एक नोटिस देती है और फिर दूसरा नोटिस देती है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह मसला एक दिन का नहीं है। यदि आज आप उन लोगों को हटायेंगे तो वे कल फिर बैठ जायेंगे। सवाल यह है कि क्या आपके पास कोई ऐसी प्लान है ताकि इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जा सके और वे लोग जिनके पास मकानात नहीं हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन लोगों को बसाने के लिए कोई परमानेन्ट हल ढूंढा जा सके। यदि एक जगह से आप हटायेंगे तो वे दूसरी जगह कब्जा कर लेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई ऐसी योजना बनायेंगे ताकि जिनके पास मकानात नहीं हैं उनको परमानेन्ट रूप से बसाया जाये ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह सवाल ओरिजिनल सवाल से पैदा नहीं होता। फिर भी मैं आनरेबुल मैम्बर की इत्तिला के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी यह दावेदारी नहीं की कि जितने बे मकान लोग हैं उनको मकान देंगे। सरकार ने यह दावेदारी की है कि पास्ट में जितने मकानात बने हैं उससे कहीं ज्यादा बनेंगे। मसलन, आपने डी०डी० ए० का बयान सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अगले माह से वे 15 सौ मकानात महावार जनता के लिये रिलीज कर रहे हैं और इसी तरीके से बड़े पैमाने पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के लिये मकान बन रहे हैं। मकानात

ज्यादा से ज्यादा बने यह नीति सरकार की जरूर है। लेकिन दिल्ली में पौने दो, दो लाख आदमी हर साल बढ़ रहे हैं। 1947 में दिल्ली की आबादी साढ़े सात लाख थी आज वह 60 लाख से भी ज्यादा हो गई है। इसके लिये हम अपने रिसोंसेज के मातहत जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: I am thankrul to the hon. Minister for making a declaration positively that those who are living in unauthorised colonies which are going to be regularised have to be provided with civic amenities which may cause some upset. There will be no upset. I want to know whether there is a schedule regarding regularisation of unauthorised colonies. He said in his reply even last year ahout the categories of unauthorised colonies which are going to be authorised. I want to know whether he has any particular time schedule or period schedule in this regard. The Minister said that about 1,500 houses will be released every month. It has nothing to do with this. I am only asking about the schedule by which time those unauthorised colonies which have been decided to be authorised will be authorised because civic amenities will follow later on. The people living in these unauthorised colonies want to know by which time their colonies will be regularised.

SHRI SIKANDAR BAKHT: It is a very long process. We have 490 colonies to be regularised. Their number has increased to 611. There are no more unauthorised colonies. Some people have been giving new names to extensions of these colonies. This is a very long process. Since the announcement was made by the Government, 30 colonies have been regularised. Physical surveys are going on depending on how much physical effort has got to be put in and the resources we have with us. All the civic amenities have had to be provided. This is not going to be a short-term plan.

श्री खुरशीद आलम खान : मैं जनाबे वजीरे मोहतरम साहब से क्या यह पूछ सकता हूं कि जो उन्होंने मुखतलिफ किस्में बताई हैं अन अथॉराइज्ड जमीनों की, खासतौर से चन्द जमीनें, कुछ जमीनें ऐसी है जिसमें वजीरे मोहतरम और मैं दोनों जाने के बाद नहीं आयेंगे यानी कब्रिस्तान। दूसरी जमीन ऐसी हैं.....

(*Interruptions*)

شری محمد یونس سلیم - اس کو بھی وہ ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں-

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम** : इस को भी वह रेगुलराइज करना चाहते हैं।]

श्री खुरशीद आलम खान : यह तो जलेंगे इनको उसकी फिक्र नहीं है। दूसरी जमीने ऐसी हैं जिन पर वक्फ की जमीनात थी और उन पर डी० डी० ए० का कब्जा है। तो क्या वजीरे मोहतरिम इस चीज की यकीन रहानी करायेंगे कि हमारे ऐसे जो कब्रिस्तान हैं जिन पर गासिबाना कब्जा है जहां पर हमारे और आपके लिए जगह महफूज रहना चाहिए और ऐसी जमीन जिन पर डी०डी०ए० का गासिबाना कब्जा है उनको छुड़ाने के लिए जहमत फरमायेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : गालिब की जबान में मैं आनरेबिल मैम्बर को एक मश्विरा देना चाहता हूं—यदि वे उस पर अमल कर सकें तो— |

"हुए मर के हम जो रुसवा,
हुए क्यों न गरके दरिया,
न कोई जनाजा उठता,
न कोई मजार होता।"

तो अगर आनरेबुल मैम्बर इस मश्विरे पर अमल करना चाहते हैं तो फिर कब्रिस्तान तक जाने की नौबत नहीं आएगी। जहां तक मेरा ताल्लुक है मेरा अभी मरने-मराने का कोई इरादा नहीं है लेकिन आनरेबुल मैम्बर

†[ ] Devanagari translation.

से मुझे हमदर्दी है। लिहाजा मेरी कोई नजर कब्रिस्तान की तरफ नहीं उठ रही है। जो सवाल किया गया है उसका ओरिजनल सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं इत्तिला के लिए अर्ज कर दूं कि बरसों पुरानी एक बरनी कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है। इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि बरनी कमेटी ने जिन जमीनों को गैर-मुतनागे तसलीम किया है उन पर मुकदमात चल रहे हैं और वे मुकदमात वापिस ले लिये जाएं।

(Interruptions)

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Sir, the honourable Minister has already stated that the unauthorised colonies are going to be regularised. I want only one piece of information from the Government. We have repeatedly asked the Government about this because there are many unauthorised colonies in West Bengal.

MR. CHAIRMAN: But this is about Delhi only.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: No, Sir. It is the policy of the Government. He has declared the policy of the Government and they are going to regularise the unauthorised colonies. I want only one piece of information from the honourable Minister. There are hundreds of colonies in West Bengal which have not yet been regularised at all and he is aware of it. Now, Sir, I would like to know whether those colonies also would be regularised and whether a policy in regard to them also has been announced. My second point is how long it will take for them to regularise these unauthorised colonies under the provisions of law as announced by the Government.

SHRI SIKANDAR BAKHT: Sir, if the honourable Member gives me notice, then I will obtain the information from the Government of West Bengal.

MR. CAHIRMAN; Next question, please.

Check on deforestation in the country

*412. DR. LOKESH CHANDRA:!

SHRI GIAN CHAND TOTU:

SHRI PRAKASH MEHROTRA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state whether in order to help recycling of the ecosystem for harmonious development, Government propose to stop further deforestation in the Doon Valley, in Darjeeling— Kalimpong hills and the Orissa's "land for land scheme"?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): The information is being collected from the States of Uttar Pradesh, West Bengal and Orissa and would be placed on the Table of the Rajya Sabha in due course.

डा० लोकेश चन्द्र : क्या मन्त्री महोदय सदन को यह आश्वासन देना चाहेंगे कि पिछले वर्ष जो कई लाख या करोड़ों रुपये के जंगल काटने के ठेके दिए गए उनके अन्दर कई ऐसे पेड़ काटे जायेंगे जिनको मेच्योर होने के लिए, बड़ा होने के लिए कम से कम 60 वर्ष या 100 वर्ष लगते हैं उनको नहीं काटा जायेगा। केवल हमारा ही देश ऐसा है जहां पर 50 साल के ऊपर के पेड़ों के जंगल काटने की ठेकों में अनुमति दी जाती है। आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हंगरी के अन्दर केवल वही पेड़ काटे जाते हैं जो 8-9 वर्ष में पूरे पेड़ बन जाते हैं, परन्तु हमारे देश की योजनाओं के अन्दर कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है कि उन पेड़ों को न काटा जाय जो बड़ा होने के लिए, उपयोग के योग्य होने के लिए दस वर्ष से अधिक समय लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी नीति में इसकी व्यवस्था करेंगे कि जो पेड़ 10-

†The question was† actually asked on the floor of the House by Dr. Lokesh Chandra.